

कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर

क्रमांक :- 342

दिनांक :- 01/10/2026

—: आदेश :-

यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कार्यवाही करने हेतु विभिन्न पुलिस थानों एवं यातायात शाखा के हेड कानिस्टेबल एवं उसरो उपर के अधिकारियों को चालान बनाने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकृत अधिकारी द्वारा अपनी चालान यूजर आईडी चालान बनाने हेतु पुलिस कानिस्टेबल को उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार से की जाने वाली कार्यवाही अवैधानिक है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थिति में चालान हेतु सक्त चालना यूजर आईडी किसी अन्य को नहीं दी जाए। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

(सचिन मित्तल)
पुलिस आयुक्त
जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. विशेष पुलिस आयुक्त, (ऑपरेशन्स) आयुक्तालय जयपुर।
2. अति. पुलिस आयुक्त, अपराध/कानून-व्यवस्था/यातायात एवं प्रशासन आयुक्तालय जयपुर।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जयपुर।
4. समस्त अति. पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जयपुर।
5. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर।
6. समस्त थानाधिकारी एवं यातायात निरीक्षक, आयुक्तालय, जयपुर।
7. संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

पुलिस आयुक्त
जयपुर